न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर (जिला जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 186 / 2024

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर :– 2024 / 324

प्रार्थीगण

1. चुन्नीलाल पुत्र देवाराम निवासी प्रतापगढ तहसील राणी जिला पाली हाल निवासी उटाम्बर तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर
2. कानाराम पुत्र कोलाराम
3. हिमताराम पुत्र कोलाराम निवासी हनुमानपुरा जीयाबेरी तहसील बालेसर जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मदनसिंह उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 29/1/25

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक खुडियाला को प्रार्थीगण की मौजा उटाम्बर, पटवार हल्का उटाम्बर, तहसील बालेसर में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 606 रकबा 0.0405 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवानें हेतु 500/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इस हेतु आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। मौके पर कब्जे के सम्बन्ध मे विवाद होने पर पत्थरगढी की कार्यवाही नही की जावें। निरीक्षक भू–अभिलेख बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

उपखण्ड अधिकारी, बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.12 12:23:16 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / वाचक / 2025 / 35-38 दिनांक 05/02/2025

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बालेसर को सुचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक खुडियाला को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी उटाम्बर को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक खुडियाला द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना बालेसर को पालनार्थ।

पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

उपखण्ड अधिकारी, बालेसर